रा. क्र. निगरानी / ग्वालियर / भू.राजस्व / 2018
2920 / 2018 / मंदसौर / भू.रा.

106

श्री जगदीश श्रीवास्तव
द्वारा आज दि. 11-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-6-18 को।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
11-5-18

(1) भेरूलाल पिता हरिराम

(2) ताराचंद पिता हरिराम

(3) वरदीचंद पिता हरिराम निवासीगण सीतामऊ फाटक के पास मंदसौर परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0 ......प्रार्थीगण

बनाम

1 मोतीलाल पिता शम्भुजी मृतक द्वारा वारिसान

क–गोपाल पिता मोतीलाल निवासी नयापुरा रोड जैन मंदिर के पास मंदसौर

ब–दिनेश पिता मोतीलाल निवासी नयापुरा रोड जैन मंदिर के पास मंदसौर

स–सुरेश पिता मोतीलाल निवासी नयापुरा रोड जैन मंदिर के पास मंदसौर

2 रमेश दत्तक पुत्र भागीरथ निवासी गोल चौराहा मंदसौर

3 गौतमलाल पिता मथुरालाल वारिसान

(1) भेरूलाल पिता गौतमलाल

(2) कैलाशचन्द्र पिता गौतमलाल

(3) शंकरलाल पिता गौतमलाल

(4) बद्रीलाल पिता गौतमलाल

(5) सुरेशचन्द्र पिता गौतमलाल

(6) मांगीबाई विधवा गौतमलाल निवासीगण चन्द्रपुरा मंदसौर म0प्र0

(7) कलाबाई पिता गौतमलाल माली वारिसान

अ राजेन्द्र पिता घनश्याम

ब–भूपेन्द्र पिता घनश्याम

स–उपेन्द्र पिता घनश्याम निवासी पिपल्यामण्डी

श्रीवास्तव
11/5/18

6/6

SNo---------2

(8) शांतिबाई पिता गौतमलाल माली मृतक वारिसान

अ–सुनिल पिता देवेन्द्र

ब–अनिल पिता देवेन्द्र निवासीगण पिपलिया मण्डी

(9) ताराबाई पिता गौतमलाल माली

(10) किरणबाई गौतमलाल माली निवासी अठाना तहसील जाबद जिला नीमच म0प्र0

4–हजारीलाल पिता लक्ष्मण निवासी माली चौक बालागंज मंदसौर

5–म0प्र0राज्य द्वारा जिला कलेक्टर मंदसौर

6–रामीबाई पिता हरिरामजी पति भेरूलाल निवासी खानपुरा मंदसौर म0प्र0

7–रामलाल पिता पूना निवासी नयामालीपुरा जावरा जिला रतलाल

.....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर के द्वारा निगरानी कमांक 662–2–11 में पारित आदेश दिनांकी 05.04.2018 के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन-2929/2018/मन्दसौर/भू.रा. [भैरूलाल/मोतीलाल]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि के
19-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 662-पीबीआर/2011 में पारित आदेश दिनांक 5-4-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1- किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2- मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3- कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	